संख्या 1(32)/94-पी0एण्ड पी0डब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली

दिनांक 9-2-1995

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 1-1-64 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृतक या 1964 की परिवार पेंशन योजना में नहीं सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन प्रदान करना ।

उपर्युक्त विषय पर, मुझे इस विभाग के दिनांक 18-6-1985 तथा 16 दिसम्बर, 1985 के का0ज्ञा0 सं0 1(11)/85-पी0यू0 का हवाला देते और यह कहने का निदेश हुआ है कि इन आदेशों में परिवार पेंशन योजना 1964 की प्रसुविधाओं को, पेंशन प्रारम्भ होने से पूर्व के उन सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों तक बढ़ा दिया गया है जो उक्त योजना में मूल रूप से शामिल नहीं हैं अथवा 31-12-63 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के हैं या जिन्होंने 1964 की योजना का विकल्प नहीं दिया था । ऐसे मामलों में 22-9-77 से अथवा परवर्ती तारीख जिससे वे परिवार पेंशन के पात्र हैं, इनमें से जो भी बाद में हो, उस तारीख से, परिवार पेंशन कार्यो अनुमत्य है । इन आदेशों के अनुसार यद्यपि आवेदक का प्रारम्भिक दायित्व है कि वह प्रसुविधाओं हेतु अपनी पहचान तथा पात्रता संबंधी दस्तावेज जैसे कि मृतक सरकारी कर्मचारी का पी0पी0ओ0 अथवा अन्य सम्बद्ध रिकार्डों को कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करे, प्रशासनिक प्राधिकारियों के लिए यह है कि सरकारी दस्तावेजों और अन्य संबद्ध साक्ष्यों के जरिए उन दावों की जांच करें । यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां लम्बे अरसे के कारण प्रशासनिक प्राधिकारियों को उपलब्ध रिकार्डों से दावे की वास्तविकता का पता लगा पाना सम्भव नहीं है तो दावेदार को दावे की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र शपथपत्र तथा अन्य दस्तावेजों को कार्यालयाध्यक्ष/पेंशन मंजूरीदाता प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए । आशय यह है कि वृद्ध विधवाओं को, जो 18-6-85 के का0ज्ञा0 के अनुसरण में परिवार पेंशन की प्रत्यक्षतः पात्र हैं, प्रशासनिक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे उन्हें पुराने रिकार्ड न मिलने के कारण किसी भी प्रकार तंग या परेशान न करें ।

2. इन आदेशों में मृतक सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के पात्र पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई संबंधी विस्तृत अनुदेश उपरिनिर्दिष्ट दिनांक 16-12-85 के का0ज्ञा0 में जारी किए थे ।

--2--

की कमी इन अनुदेशों के-बावजूद ऐसे मामलों नहीं है, जिसमें वृद्ध एवं असहाय विधवाओं को, जो सामान्यत: 80 वर्ष से अधिक आयु की है परिवार पेंशन प्राप्त करने में इसलिए परेशानी अथवा कठिनाई हुई, क्योंकि सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारियों ने पुराने रिकार्ड नहीं मिलने के कारण, उस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया । यह तथ्यों से परे है कि कार्यालय रिकार्डों से दावों की यथा तथ्यता और प्रमाणिकता की जांच का दायित्व केवल प्रशासनिक प्राधिकारियों का ही है । यह दोहराया जाता है कि 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त तथा मृतक सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को उपरिनिर्दिष्ट दिनांक 16.12.85 के का० ज्ञा० के अनुसरण में परिवार पेंशन देने के दावों को, केवल वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण नामंजूर कर दिया गया । ऐसे मामलों में विभागीय प्राधिकारियों को चाहिए कि वे सामान्यत:, मृतक सरकारी कर्मचारियों के पात्र पारिवारिक सदस्यों से भरा हुआ शपथपत्र और उनके पास उपलब्ध ब्यौरे को सद्भाव पूर्वक लेकर, कम दर अनंतिम परिवार पेंशन के आदेश जारी करके, शपथपत्र की वास्तविकता की जांच के लिए विभागानुसार लम्बित जांच या अन्य कोई उचित कार्रवाई करें ।

3. उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनंतिम परिवार पेंशन देने के आदेश जारी होने के तत्काल बाद, विभागाध्यक्ष या पेंशन मंजूरीदाता प्राधिकारी दावेदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र और अन्य साक्ष्य दस्तावेजों की यथातथ्यता की जांच के लिए उचित कार्रवाई करें यदि सम्भव हो तो मृतक/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय जैसा भी मामला हो, आहरित राशियों के आधार पर अनुसरय परिवार पेंशन की निश्चित राशि का भी पता लगाए इस आशय के लिए मृतक सेवानिवृत्त/सरकारी कर्मचारी के किसी पूर्व साथियों की मदद, और स्थानीय जांच के साथ-साथ परिवार जहां रह रहा है, उस राज्य/जिला के राजस्व प्राधिकारियों की मदद ली जा सकती है । यह जांच कार्य तत्काल किया जाना चाहिए और परिवार पेंशन प्रदान करने के विधिमान्यकरण अंतिम आदेश अन्यथा अनंतिम पेंशन मंजूरी आदेश की तारीख से छ: महीने के अन्दर स्थायी तौर पर वित्त प्रभाग के परामर्श से जारी कर दिए जाएं । यहां यह भी कहना उचित है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय, जो सामान्यत: कम हैं, एक सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आवेदक को सामान्यत: संदेह लाभ दिया जाना चाहिए, यथा अधिकांश मामले वृद्ध/विधवाओं या मृतक/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विक्षिप्त/असमर्थ या विकलांग बच्चों से सम्बन्धित हैं ।

सुभाष चन्द्र बत्रा
(एस० सी० बत्रा)
उप सचिव भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों
परिचालन सूची के अनुसार ।